**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 12**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**dks;ys dh pksjh vkSj xSj dkuwuh mR[kuu**

**12 Jh vfouk'k ikaMs %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ dksy bf.M;k fyfeVsM vkSj bldh vuqorhZ dEifu;ksa dks dks;ys dh pksjh vkSj xSj dkuwuh mR[kuu ls fdruh gkfu gqbZ(

¼[k½ D;k ljdkj dks;ys dh pksjh vkSj xSj dkuwuh mR[kuu dks jksdus ds fy, dksbZ fuokjd mik; dj jgh gS( vkSj

¼x½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) :** पुरानी और परित्‍यक्‍त खानों, छोटे और निर्जन पैचों, खनित क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के लीजहोल्‍ड क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में कोयले की चोरी और अवैध खनन गुप्‍त रूप से तथा चोरी-छिपे की जाती है। इसलिए कोयले की चोरी और अवैध खनन के कारण हुए कोल इंडिया लि. को घाटे का उल्‍लेख करना संभव नहीं है। तथापि, सुरक्षा कर्मियों एवं संबंधित राज्य सरकारों के कानून तथा व्यवस्था संबंधी प्राधिकारियों द्वारा मारे गए संयुक्त छापों में कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल की गई कोयले की मात्रा और उसका अनुमानित मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | कोयले की चोरी | | | कोयले का अवैध खनन | | |
|  | मामलों/घटनाओं की संख्‍या | वसूल की गई मात्रा (टन) | अनुमानित मूल्‍य (लाख रू.) | मामलों/घटनाओं की संख्‍या | वसूल की गई मात्रा (टन) | अनुमानित मूल्‍य (लाख रू.) |
| 2013-14 | 4449 | 16840.82 | 599.82 | 1123 | 1342.57 | 55.599 |

**(ख) और (ग):** कानून और व्‍यवस्‍था राज्‍य का विषय है। अत: कोयले की चोरी रोकने/कम करने हेतु आवश्‍यक कठोर कार्रवाई करना राज्‍य/जिला प्रशासन का प्रमुख उत्‍तरदायित्‍व है। तथापि, चोरी और अवैध खनन रोकने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा निम्‍नलिखित उपाए किए गए हैं:

1. जहां भी संभव होता है, अवैध खनन से बने रैट होलों को पत्थर और मलबे से डोज-आफ किया जाता है और भरा जाता है।
2. अवैध खनन वाले स्थलों को अलग करने के लिए खाई खोदी जाती हैं।
3. परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी जाती हैं ताकि इन क्षेत्रों में पहुंच को नियंत्रित किया जा सके और अवैध कार्यकलापों को रोका जा सके।
4. अवैध खनन स्थलों पर बाढ़ लगाना एवं "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान " का उल्लेख करके साइन-बोर्ड प्रदर्शित करना।
5. खनित क्षेत्रों पर ओवर बर्डेन डम्प किया जाता है।
6. पिटहैड डिपुओं के चारों तरफ तार-बाड़/चारदीवारी की जाती है, रात में हथियारबंद गार्डों की तैनाती सहित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।
7. अवैध खनन वाली जगहों की सीलिंग की जाती है। चोरी अथवा उठाईगिरी के मामले में पकड़े गए परिवहन वाहनों के विरूंद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।
8. मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों के पुश्चर्या प्रशिक्षण और सुरक्षा बन्दोवस्त को सुदृढ बनाने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में नए भर्ती किए गए कार्मिकों के मूल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
9. महिलाओं तथा बच्चों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों को तैनात करना।
10. सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुन: मूल्यांकन करके, सुरक्षा कार्य हेतु सक्षम कार्यपालकों की समानान्तर आवाजाही तथा कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ स्तरों पर अर्हताप्राप्त सुरक्षा कार्मिकों को शामिल करते हुए सुरक्षा विभाग को सुदृढ़ करना।
11. कोयला मंत्रालय समय-समय पर अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला उत्पादन राज्यों से अनुरोध करता आ रहा है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारियों को निदेश दें।
12. परिवहन दस्तावेजों की जांच के लिए संवेदनशील स्थानों पर चैक पोस्ट की स्थापना।
13. कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के घनिष्ठ संपर्क में रहती हैं।
14. **अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं को मानीटर करने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तर पर (ब्लॉक स्तर, सब-डिवीजनल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) समिति / कार्य बल का गठन किया गया है।**
15. ओवर बर्डन (ओबी) डम्पों सहित खान के ईद-गिर्द नियमित चौकसी बरती जाती है।
16. **स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्रों की संयुक्त गश्त भी की जाती है।**
17. **सीआईएसएफ के उड़न दस्तों/सुरक्षा विभाग द्वारा औचक जांच/छापे मारे जाते हैं।**
18. **तुलनसेतुओं पर कोयले से लदे ट्रकों का औचक पुन: वजन किया जाता है।**
19. **कोलियरीज प्रबंध तथा सीआईएसएफ द्वारा नियमित रूंप से कोयले की चोरी/उठाईगिरी के विरूंद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकियां दर्ज करायी जाती हैं। सीआईएसएफ आदि द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है।**

\*\*\*\*\*